



यूजीसी एक्ट के विरोध में सड़क पर उतरे सवर्ण

सवर्ण एकता मंच के बैनरतले निकाली रैली, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

शाजापुर, 8 फरवरी. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नई गाइडलाइंस के विरोध में रविवार को शाजापुर में सवर्ण समाज ने जमकर प्रदर्शन किया. सवर्ण एकता मंच के बैनर तले आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए. सवर्ण समाजजनों ने केंद्र सरकार के नए प्रावधानों को काला कानून करार देते हुए जमकर नारेबाजी भी की. इसके बाद अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन एसडीएम को सौंपा. रविवार को विरोध प्रदर्शन की



शुरुआत बस स्टैंड से हुई, जहां सवर्ण समाजजन दोपहर से ही इकट्ठा होने लगे थे. इसके बाद रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बस स्टैंड तक पहुंची. रैली में समाजजन हाथों में तख्तियां लिए यूजीसी एक्ट के विरोध में नारे लगा रहे थे. अंत में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन शाजापुर एसडीएम मनीषा वास्करले को सौंपा.

ज्ञापन में यह मांग शामिल आईएसएस अधिकारी संतोष वर्मा ने जो सवर्ण समाज की बेटियों पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका सवर्ण समाज द्वारा विरोध के बावजूद उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई अतिशय उसे सेवा से बर्खास्त किया जाए. फिल्म भूखंडी पंडित जिसके नाम पर ब्रायमण समाज इसके टाइटल पर आपत्ति दर्ज करता है, अतिशय इस फिल्म को बैन कर इसके निर्माता, निर्देशक पर एफआईआर दर्ज की जाए. एससी एक्टो एक्ट का कई बार दुरुपयोग होना सामने आया है, एट्रोसिटी एक्ट के किसी भी शिकायत पर सीधे एफआईआर दर्ज ना कर पहले गहन जांच की जाए इसके उपरांत ही कोई कार्रवाई की जाए. एट्रोसिटी एक्ट जैसा एक कानून सवर्णों के लिए भी बनाया जाए.



आंदोलन की दी चेतावनी... इसर, सवर्ण एकता मंच ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. सवर्ण आंदोलन में शामिल नागरिकों का कहना है कि 13 जनवरी को सरकार ने जो यूजीसी का काला कानून लागू किया है. उसके विरोध में यह ज्ञापन सौंपा है. जब तक यह कानून वापस नहीं होगा, तब तक हमारा आंदोलन वरुणबद्ध तरीके से जारी रहेगा. इस दौरान कहा गया कि सरकार द्वारा जात-पात वर्ग में जो लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है उसका हम विरोध करते हैं.

एक नजर में

अधेड़ ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
शाजापुर, 8 फरवरी. शहर के रायपुर रोड क्षेत्र में रविवार सुबह एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान दीपक राठौर के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मृतक के 17 वर्षीय पुत्र राज ने पुलिस को बताया कि वह सुबह करीब 9 बजे बाजार गया था. इसी दौरान पड़ोसियों से उसे घटना की जानकारी मिली. लगभग 10 बजे पर लौटने पर उसने अपने पिता को कमरे में फंसे पर लटका हुआ पाया. सूचना मिलने पर पत्नी एवं अन्य परिजनों ने मिलकर शव को नीचे उतारा. लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी.

उपर चालक की लापरवाही से युवक की मौत
शाजापुर, 8 फरवरी. सड़क दुर्घटना में हुई युवक की मौत के मामले में मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण शाजापुर ने पीड़ित परिवार को बड़ी राहत देते हुए 18 लाख 18 हजार 140 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश पारित किया है. साथ ही आवेदन प्रस्तुती दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी बीमा कंपनी द्वारा अदा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. प्रकरण के अनुसार दिनांक 31 मई 2024 को दोपहर करीब 12.30 बजे आवेदिका सुशीलाबाई मेवाड़ा का पुत्र संदीप मेवाड़ा अपनी मोटरसाइकिल से शाजापुर से अपने गांव कोहलिया जा रहा था. जैसे ही वह स्टैंड बैंक, चित्राश नगर के सामने शाजापुर मंडी क्षेत्र में पहुंचा, तभी सामने से आ रहे डंपर के चालक धर्मेन्द्र ने तेज गति व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए संदीप की मोटरसाइकिल को सामने से टक्कर मार दी. दुर्घटना में संदीप को गंभीर चोट आई और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. घटना के बाद मृतक के परिजनों की ओर से मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण शाजापुर में क्षतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया गया. आवेदक पक्ष की ओर से अधिवक्ता महानसिंह परमार एवं राजपालसिंह राजपूत ने मामले में प्रभावी तर्क रखे, जिन्हें स्वीकार करते हुए सदस्य मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण शाजापुर द्वारा सोलंकी ने मृतक के वारिसान माता सुशीलाबाई एवं पिता कमलसिंह सहित अन्य को बीमा कंपनी से 18 लाख 18 हजार 140 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने का आदेश पारित किया.

बोर्ड परीक्षाओं के चलते ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित
शाजापुर, 8 फरवरी. जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत शाजापुर जिले के अंतर्गत आने वाली संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिसके तहत विद्यार्थियों की परीक्षाओं को मददनेजर मप्र कोलालहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के निर्देशों के अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित किया गया है. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा सत्र 2025-26 की वार्षिक परीक्षा 10 फरवरी से 7 मार्च तक एवं केंद्रीय शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा 17 फरवरी से संचालित होना है. विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण रखते हुए मप्र कोलालहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 के तहत माध्यमिक शिक्षा मंडल मप्र भापाल एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित उक्त परीक्षा अवधि के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है. कोई भी व्यक्ति या समूह किसी भी आयोजन, जुलूस, रैली में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, अनुविभागीय दंडाधिकारी की बिना अनुमति के नहीं करेगा. यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है. यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा.

धारा 163 के तहत प्रतिबंध
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने विद्यालय की बोर्ड परीक्षाओं को दृष्टिकोण रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत शाजापुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत परीक्षा केंद्रों एवं उसके आस-पास 100 मीटर तक की दूरी तक पांच पांच से अधिक व्यक्तिों द्वारा विधि विरुद्ध जमाव एवं अनाधिकृत व्यक्तियों तथा अवांछनीय गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है. जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत परीक्षा केंद्रों में एवं परिसर के चारों ओर 100 मीटर के दायरे में परीक्षा के लिए उपस्थित अभ्यर्थियों एवं इच्छुटी पर तैनात शासकीय कर्मचारी एवं कार्यालयीन स्टाफ के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति/अभिभावक का प्रवेश निषेध रहेगा. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सत्र 2025-26 की वार्षिक परीक्षा 10 फरवरी से 7 मार्च तक एवं केंद्रीय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा 17 फरवरी से संचालित होना है. यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है. यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा.

शिक्षा के साथ संस्कारों का केंद्र है सरस्वती विद्या मंदिर
शाजापुर, 8 फरवरी. सरस्वती विद्या मंदिर शिक्षा के साथ संस्कारों का भी केंद्र है, यहां पर व्यक्ति नहीं बल्कि उसके चरित्र का निर्माण किया जाता है. यह बाद विद्यालय के पूर्व छात्र और पत्रकार अजय शर्मा ने दुगाड़ा रोड स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में कक्षा 12वीं के छात्रों के विदाई समारोह कार्यक्रम में कही. कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित शर्मा ने कहा कि आज के परिवेश में जहां छात्रों के करियर पर ध्यान दिया जाता है, वहीं सरस्वती विद्या मंदिर में छात्रों के करियर के साथ उनके कैरेक्टर को भी तैयार किया जाता है. उन्होंने कहा कि 1952 से संचालित सरस्वती विद्या मंदिर आज देश के अलग-अलग हिस्सों में अनुशासन और संस्कारों के साथ आधुनिक शिक्षा का भी ज्ञान देने का काम कर रहा है. कार्यक्रम में उपस्थित विभाग समन्वयक व पूर्व प्राचार्य सुरेन्द्र जोशी ने कहा कि आज देश के अलग-अलग हिस्सों में सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़े छात्र समाज हित और राष्ट्रहित में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इस अवसर पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ ही विद्यालय में बिताए समय पर अपने अनुभव साझा किए. कार्यक्रम का हिंदी माध्यम के प्राचार्य देवकरण शर्मा एवं विद्यालय के वरिष्ठ सचिव अजीत पाराशर ने भी संबोधित किया. कार्यक्रम के दौरान मंच पर विद्यालय अतिथि के सचिव अजय पौल, सीबीएससी प्राचार्य राहुल देसमुख, ज्योतिनगर के प्रधान आचार्य चंद्रशेखर शर्मा मौजूद रहे. कार्यक्रम का संचालन छात्रा स्रेहा सौराष्ट्रीय ने किया तथा आभार छात्र अजय गरासिया ने माना.

प्रोग्रेसिव एसोसिएशन की बैठक में संगठन विस्तार पर मंथन
शाजापुर, 8 फरवरी. प्रोग्रेसिव एसोसिएशन अकोदिया ब्लॉक की एक महत्वपूर्ण बैठक अध्यक्ष केदार सिंह राजपूत की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में उपस्थित वरिष्ठ सदस्यों ने संगठन को और अधिक सशक्त व प्रभावी बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की. बैठक के दौरान अकोदिया ब्लॉक में संगठन के नए सदस्यों को जोड़ने तथा विभिन्न विभागों के पेशनरों को संगठन से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया. वक्ताओं ने कहा कि अधिक से अधिक सदस्यों की सहभागिता से संगठन की आवाज मजबूत होगी और पेशनरों के हितों को प्रभावों ढंग से रक्षा की जा सकेगी. इस अवसर पर नारायण सिंह परमार, गोपाल व्यास, डॉ. सुशील कुमार गेहलोत, गजराज सिंह जायसवाल, दयाराम मालवीय, बंशीधर पांडे, मदन सिंह मेवाड़ा, रमेशचंद्र राजपूत, कमल सिंह परमार, राधेश्याम पटेल आदि मौजूद थे.

कभी नहीं भूलेंगे सहज की सीख...

सहज पब्लिक स्कूल में कक्षा 12वीं के बच्चों को दी भावभीनी विदाई
शाजापुर, 8 फरवरी. हमें अच्छे-बुरे का ज्ञान नहीं था, जो भी सीखा सहज से सीखा. यहां के संस्कार और ज्ञान को हम कभी नहीं भूलेंगे और स्कूल के नाम को ऊंचाईयों तक पहुंचाएंगे. यह कहना था कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का, जिन्हें स्कूल प्रबंधन और अन्य विद्यार्थियों ने भारी मन से विदाई दी. रविवार को दुपाड़ा रोड स्थित



बच्चे होते हैं स्कूल की पहचान...
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय प्राचार्य डॉ. अंकुश जैन ने कहा कि आगामी दिनों में बोर्ड परीक्षाएं होंगी, जिसमें आप लोग अच्छे नंबरों से पास होकर भविष्य की नई राह बनाएंगे. आपके संस्कार आपकी ही नहीं बल्कि आपके विद्यालय की भी पहचान बनेंगे. इसीलिए आप लोगों को यहां हर स्थिति से लड़ना सिखाया गया है. आपके जीवन में नई-नई चुनौतियां भी आएंगी, जिनका सामना आपको डटकर करना है. यदि स्कूल प्रबंधन की आपकी जहां भी सहायता हो हम लोग आपके लिए हर समय तैयार हैं. संचालिका आशा जैन ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपके जीवन का अब नया अध्याय शुरू होने जा रहा है. जहां भी सहज पब्लिक स्कूल की आवश्यकता हो नि:संकोच चले आना. यह स्कूल आपका था और हमेशा रहेगा.

एक नजर में

उत्कृष्ट विद्यालय की कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित

उत्कृष्ट में प्रवेश के लिए 1104 विद्यार्थियों ने चलाई उम्मीदों की कलम

शाजापुर, 8 फरवरी. शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय शाजापुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा शाजापुर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र सिंह सिन्घे के मार्गदर्शन में शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी वातावरण में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई. इस परीक्षा का आयोजन जिले के तीन निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया, जहाँ विद्यार्थियों की उपस्थिति सराहनीय रही. प्रवेश परीक्षा के लिए जिले में कुल 1165 विद्यार्थियों का पंजीयन किया गया था. इनमें से 1104 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जबकि 61 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे.

युवक की गला रेत कर हत्या, शव जलाने की भी कोशिश की

सीहोर निवासी के रूप में हुई शिनाख्त, परिजनों ने दो लोगों पर लगाया हत्या का आरोप
शाजापुर, 8 फरवरी. शाजापुर मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत निपानिया देव मार्ग पर अमलाय पथर के पास स्थित एक खेत में रविवार सुबह एक युवक का अधजला शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. युवक की गला रेतकर हत्या किए जाने और बाद में शव को जलाने की कोशिश किए जाने की आशंका जताई जा रही है. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. शव सड़क से करीब 400 से 450 मीटर अंदर खेत में पड़ा मिला. घटनास्थल के आसपास पथरों पर खून के निशान भी पाए गए हैं. मौके से एक खाली स्प्रेट को बोटल भी मिली है, जिससे शव जलाने की आशंका और गहराई है. मृतक की पहचान धर्मेन्द्र शर्मा पिता रमेश प्रसाद शर्मा 27 वर्ष निवासी ब्रह्मपुरी कॉलोनी, सीहोर के रूप में हुई है. वह पूजा सामग्री बेचने का कार्य करता था और किराए के मकान में रह रहा था. परिजनों द्वारा शनिवार रात कोतवाली थाना सीहोर में पुलिस से मदद की गुहार लगाते रहे. यदि पुलिस समय पर साथ चलती तो



पिता का आरोप पुलिस मदद करती, तो बेदा बच जाता घटनास्थल पर पहुंचे मृतक के पिता रमेश प्रसाद शर्मा ने कहा कि वे शनिवार रात कई घंटे तक कोतवाली थाना सीहोर में पुलिस से मदद की गुहार लगाते रहे. यदि पुलिस समय पर साथ चलती तो उनका बेटा बच सकता था. भाई ने भी कहा पुलिस ने मदद नहीं की मृतक के भाई प्रशांत शर्मा ने बताया कि शनिवार शाम सीहोर निवासी चिराग और बादल उनके घर आए थे और धर्मेन्द्र को बाइक पर बिठाकर ले गए. शाम करीब 5 बजे मोबाइल पर बात हुई, तब धर्मेन्द्र ने कहा था कि वे लोग उसे छोड़ नहीं रहे हैं. बाद में रात करीब 8. 30 बजे फ़ोन करने पर आरोपियों ने अभद्र भाषा में बात करते हुए हत्या की बात कही. इस सम्बन्ध में कोतवाली सीहोर पुलिस को भी बताया तथा सीहोर पुलिस से भाई को ले जाने वाले दोनों युवकों से मोबाइल का नंबर भी कराई. पुलिस ने कोई मदद नहीं की. परिजनों का आरोप है कि आग्रा से अरन्याकला के बीच स्थित एक ढाबे पर धर्मेन्द्र को शराब पिलाई गई, जहां उसके साथ मारपीट भी हुई. इसके बाद उसकी हत्या कर शव शाजापुर क्षेत्र में फेंक दिया गया.

आमने-सामने भिड़ी मोटर साइकिलें, दो लोग घायल

शाजापुर, 8 फरवरी. नेशनल हाईवे 52 स्थित बिजाना जोड़ के पास रविवार दोपहर करीब 2 बजे दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर हो गई, इस हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए. इसमें से एक घायल को गंभीर स्थिति में इंदौर रेफर किया गया है. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े, मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को मदद की. वहां से गुजर रही महाराष्ट्र की एक एंबुलेंस के चालक ने एक घायल युवक को तत्काल शाजापुर जिला अस्पताल पहुंचाया. दूसरे घायल की हालत गंभीर होने के कारण उसे 108 एंबुलेंस की मदद से अत्यंत उपचार के लिए ले जाया गया. जिसकी पहचान नहीं हो सकी है, वहीं जिला अस्पताल में भर्ती घायल युवक की पहचान शाजापुर निवासी लोकेन्द्र पिता विष्णु प्रसाद के रूप में हुई है, जिसके सिर में गंभीर चोट आई है और प्रेकर भी हुआ है. प्राथमिक उपचार और सिटी स्कैन के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया है.

न बादल, न कोहरा, अब बढ़ेगा तापमान

सुबह व शाम रहेगी गुलाबी सर्दी, दिन में तपाएगी गर्मी
शाजापुर, 8 फरवरी. शुरुआत से ठिठुर रहा वर्ष 2026 में अब मौसम परिवर्तन होगा, मौसम विभाग के अनुसार न कोहरा छाएगा और न ही बादल छाएंगे. वहीं बारिश की भी कोई संभावना नहीं है. अब दिन का तापमान 30 से 35 डिग्री तक पहुंचेगा जिससे लोगों को सर्दी से राहत मिलेगी. वहीं आगामी सप्ताह से लोगों को अब गर्म कपड़ों की जगह पंखों के सहारे दिन और रात गुजारना होगा. दिसंबर माह के अंत और जनवरी की शुरुआत से ही मौसम सर्द बना हुआ था और नगरवासी पिछले दो माह से लगातार ठिठुर रहे थे. दिन में कभी मौसम गर्म हो रहा था तो शाम होते ही सर्द हवाएं फिर मौसम को सर्द बना रही थी. यही नहीं जनवरी माह में हुई ओलावृष्टि से पिछले एक सप्ताह से लोगों को दिन में भी सर्द हवाओं व कोहरे का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन पिछले दो दिनों से मौसम बदलने लगा है और हवा की गति भी कम हुई है. दिन में भी तेज धूप खिलने लगी है जिससे संभावना है कि आगामी दिनों में मौसम पूरी तरह बदल जाएगा. सुबह व शाम गुलाबी सर्दी, दिन में गर्म रहेगा मौसम स्थानीय मौसम विशेषज्ञ सत्येंद्र धनोतिया ने बताया कि पहले हवा उत्तर-पूर्वी थी जो रविवार से दक्षिण-पश्चिमी हो गया. जिसके चलते आगामी सप्ताह से मौसम गर्म होने लगेगा. उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह से दिन का तापमान बढ़कर 32 से 35 डिग्री तक पहुंच सकता है. हालांकि रात में गुलाबी सर्दी का एहसास जरूर होगा. लेकिन मार्च के पहले सप्ताह से मौसम पूरी तरह गर्म हो जाएगा, जिसके चलते दिन का तापमान 35 से 40 डिग्री बना रहेगा.

जनगणना 2027 के लिए अधिकारियों की नियुक्ति

शाजापुर, 6 फरवरी. कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने शाजापुर जिले में जनगणना 2027 के सुचारु रूप से कार्य संपादन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की है. जो अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत जनगणना का कार्य करेंगे. जारी आदेश अनुसार कलेक्टर स्वयं प्रमुख जनगणना अधिकारी होंगे. इसी तरह अपर कलेक्टर को जिला जनगणना अधिकारी, जिला योजना अधिकारी को अतिरिक्त जनगणना अधिकारी, सभी अनुविभागीय अधिकारियों को अनुविभागीय जनगणना अधिकारी, सभी तहसीलदारों व नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को चार्ज जनगणना अधिकारी एवं सभी नायब तहसीलदारों को अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है.